राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः प. 6(54)राज-6/2001/पार्ट-1/400 जयपुर दिनांक 15-7-04

समस्त जिला कलेक्टर

राजस्थान ।

परिपत्र

विषयः- राजस्थान भू-राजस्व(कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1961 के निरसित नियम के संबंध में ।

जिला कलेक्टरों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि राजस्थान भू-राजस्व(कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1961 को विभाग की अधिसूचना दिनांक 5-3-03 के द्वारा विलोपित किया जा चुका है इसलिए उक्त नियमों के तहत विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किसके द्वारा किया जावेगा ।

इस संबंध में स्पस्ट किया जाता है कि वे प्रकरण जिनमें 1961 के नियमों के तहत पातेदारी अधिकारों का राज्य सरकार को समर्पण किया जा चुका है लेकिन 5-3-03 तक सम्परिवर्तन/ नियमन आदेश जारी नही किये गये थे तथा प्रकरणों के विचाराधीन रहते हुए ही दिनांक 5-3-03 को 1961 के नियमों को निरसित किया जा चुका है ऐसे प्रकरणों में तथा 1961 के निरसित नियमों के पश्चात् के नये प्रकरणों में कार्यवाही अब स्थानीय निकायों द्वारा की जावेगी ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निबंधक राजस्व बोर्ड, अजमेर ।
2. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग

शासन उप सचिव